छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 1716 / 134 / विज्ञापन / 2008 रायपुर, दिनांक 07 / 01 / 2010

शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2010/चयन/दिनांक 07/01/2010

प्रकाशन की तिथि – 13 / 01 / 2010 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 27 / 01 / 2010

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त मांग पत्र क्रमांक एफ 2–52 / 2008 / नौ / 55 दिनांक 06.08.2008 एवं यथासंशोधन के आधार पर **"व्याख्याता, रीडर एवं सीनियर साईंटिफिक ऑफिसर ग्रेड–2"** के कुल 28 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 04 / 2009 / चयन / दिनांक 27.08.2009 जारी किया गया था, जिसका "रोजगार और नियोजन" के अंक दिनांक 02.09.2009 में प्रकाशन हुआ था।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना क्रमांक एफ 2–21 / 2009 / नौ / 55 दिनांक 18.11.2009 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम–1987 में संशोधन करते हुए इसकी सूचना अपने पत्र क्र. एफ 2–21 / 2009 / नौ / 55, रायपुर दिनांक 20.11.2009 के द्वारा आयोग को दी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 27.08.2009, की कंडिका 11(11) के नीचे तथा **"महत्वपूर्ण टीप"** के ऊपर कंडिका **11(12)** के रुप में निम्नानुसार कंडिका जोड़ा जाता है:–

(2.1) <u>11(12)</u> :– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना दिनांक 18.11.2009 के अनुसार **शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर में रिक्त पद के लिए वे शिक्षक, जो रीडर एवं व्याख्याता के रुप में कार्यरत हैं या जिन्हें कार्य करने का अनुभव प्राप्त है, को उच्चतम आयु सीमा में एक बार के लिए 2 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।"**

(2.2) उपर्युक्त शर्त के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को प्रपत्र–तीन में दिये प्रारुप में आवेदन पत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आयु संबंधी छूट नहीं दी जाएगी। **"प्रपत्र–तीन"** का प्रारुप मूल विज्ञापन के साथ प्रकाशित है।

(3) आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 27.08.2009 की कंडिका–24 **"आवेदन पत्र एवं अन्य बातें"** के अन्तर्गत कंडिका 24.2 में निम्नलिखित शर्त का उल्लेख था:–

"एक आवेदक से एक पद–विषय के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। एक आवेदक से एक पद–विषय के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके उस विषय से संबंधित सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।"

(4) पैरा–02 के अनुसार जारी किए जा रहे शुद्धि पत्र के परिप्रेक्ष्य में इच्छुक आवेदकों से पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना आवश्यक होने के फलस्वरूप पूर्व विज्ञापन में उल्लेखित उपर्युक्त शर्त विलोपित किया जाता है अर्थात् पूर्व प्रसारित विज्ञापन की कण्डिका 24.2 विलोपित माना जाए।

(5) छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ 2–51 / 2008 / नौ / 55 रायपुर, दिनांक 05.11.2009 के द्वारा प्रेषित पदनाम (व्याख्याता) संशोधन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रसारित विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) (A) 1. "<u>**व्याख्याता रचना शरीर**</u>" के स्थान पर "**व्याख्याता रचना शारीर**" पढ़ा जाए।

2. "<u>**व्याख्याता क्रिया शरीर**</u>" के स्थान पर "**व्याख्याता क्रिया शारीर**" पढ़ा जाए।

(2) 3.2 नोट में :– "<u>**रचना शरीर एवं क्रिया शरीर**</u>" के स्थान पर "**रचना शारीर एवं क्रिया शारीर**" पढ़ा जाए।

(3) (B)(6)2. अनुभव में – "<u>**03 वर्ष अध्यापन**</u>" के स्थान पर "**03 वर्ष का अध्यापन**" पढ़ा जाए।

(4) (B)(6)2. नोट में – (2) "<u>**काय चिकित्सा में**</u>" के स्थान पर "**काय चिकित्सा विषय में** " पढ़ा जाए।

(5) (B)(6)2. Note में–(2) **"Kaya Chikitsa Principles"** लिखा है जिसमें **"Principles"** शब्द विलोपित किया जाता है।

(6) आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पदों के लिए जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं वे **दिनांक 27 / 01 / 2010** को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में मूल विज्ञापन क्र. 04 / 2009 / चयन दिनांक 27.08.2009 में दिये प्रपत्रों को भरकर आवेदन कर सकते हैं अथवा आयोग के वेब साईट **(www.psc.cg.gov.in)** से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउन लोड कर ए–4 साईज पेपर में प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(7) आयोग द्वारा प्रसारित इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त पूर्व में प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27.08.2009 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नोटः– प्रकाशित मूल विज्ञापन छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर–दूरभाष–2236891 से प्राप्त किया जा सकता है।

हस्ता / –
सचिव
छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर

नोटः– छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर / परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंधित है।